



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर
संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर



फोन/फैक्स नं० ६४३२ २३२३९७, गो० ९४३११३७७९५, ईमेल dfo.deoghar2@gmail.com

शास्त्रीय सरकार

पत्रांक ०१-०२ व०८० / ०२(२२)१६ / २०१८। त्र०। दिनांक १५.०६.२०१९

प्रधक.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
देवघर वन प्रमण्डल, देवघर।

सेवा में,

उप महाप्रवधक,
संचरण अंचल, देवघर।

विषय : ज्ञारखण्ड राज्य के देवघर जिलान्तर्गत JSUNL के 132 के.भी. ली/सी जसीडीह-मधुपुर विद्युत संचरण लाईन निर्माण हेतु 19.46863 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव।

प्रस्ताव :

- तकनीकि पदाधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (राँची), बंगलो नं०-A2 श्यामली कॉलोनी, राँची-८३४००२ का पत्र सं०- FP/JH/TRANS/30079/2017/3110 दिनांक ०३.०५.२०१९।
- आपका पत्रांक ४७३ दिनांक १५.०६.२०१९।
- इस कार्यालय का पत्रांक १२५९ दिनांक ३१.०५.२०१९ एवं पत्रांक १३३९ दिनांक १३.०६.२०१९।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रथम रत्तर की स्वीकृति (1st Stage Clearance) में लगाये गये निम्नांकित शर्तों के आलोक में प्रासंगिक पत्र (३) के माध्यम से डिमांडनोट प्रेषित की गयी थी। परन्तु अद्यतन भारत सरकार द्वारा प्रथम रत्तर की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अद्यतन संगर्जित नहीं किया गया है। शर्तों के अनुपालन की शर्तवार स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :-

क्र०	शर्त	अनुपालन
१	२	३
१	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) रामर्पित किया जाए।
२	Compensatory afforestation: Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 38.94 ha. degraded forest land (Thana No. 208, Plot No. 599, Village-Babudih, District-Deoghar) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	देवघर वन प्रमण्डल के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि 19.46863 हे. के दोगुणे अर्थात् 38.94 हे. अवकृष्ट वनभूमि पर अतिपूरक वनरोपण की कुल प्रावक्षित राशि 6867229.00 रु. (अड्सठ लाख सदस्य हजार दो सौ उनतीस) रु. भाव अतिपूरक वनरोपण हेतु निर्धारित किया जाता है। उक्त राशि को कम्भा के साता में e-portal के माध्यम से ऑनलाईन जागा किया जाय तथा जगा प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय। नोट: दर तालिका में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त राशि की गाँग अलग से की जायेगी।
३	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन हेतु राशि शर्त संख्या ०२ में समिलित कर ली गयी है।

4	NPV:	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 19.46863 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PLII) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	देवघर वन प्रमंडल के अंतर्गत वृक्षुल प्रस्तावित वनभूमि 19.46863 है। X @ 6.26 लाख रु./हेक्टेयर कुल 12187362.00 (एक करोड़ एकलास लाख सतारी हजार तीन सौ बाँसठ) रूपये मात्र एन.पी.मी. हेतु निर्धारित की जाती है। उक्त राशि को कैम्पा के खाता में e-portal के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाय एवं जमा प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाता है।
b)	The State Govt. shall charge the penal Net Present Value (NPV) for violation, which is equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made. In Case of public utility projects of the Government the penalty shall be 20% of the penalty proposed above.	कुल Violated Area 19.46863 है। Date of Report of Violation – 21.09.2018 एवं 22.09.2018 Violated अवधि – 01 साल साधारण दर – 12 % प्रतिशत 1. घण्टालक एन.पी.मी. की राशि 19.46863 है। X 01 X 6.26 X 100000.00 – 12187362.00 2. अतिरिक्त व्याज (एक वर्ष हेतु ग्राहक सरकार की दर से) – 12187362.00 X 12 X 1/100 = 1462484.00 3. 1 एवं 2 का योग = 13649846.00 • Public utility projects of the Government हेतु कमाक 3 का 20 प्रतिशत = 272996.00 (सताईस लाख उनतीस हजार तीन सौ उनहतार) रूपये मात्र घण्टालक एन.पी.मी. हेतु निर्धारित की जाती है। उक्त राशि को कैम्पा के खाता में e-portal के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाय एवं जमा प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय।
c)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
5	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु राशि की मांग प्रमंडलीय प्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमंडल, गिरिझोड़ के द्वारा वृक्षपातन की राशि का निर्धारण के पश्चात् की जायेगी।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रतिवेदन 10 (दस) प्रतियों में समर्पित किया जाय।
7	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु उक्त परियोजना में मांग की गयी सभी राशियों को कैम्पा के खाता में e-portal के माध्यम से जमा कर जमा प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय।
8	Width of Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 27 m.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
9	The User Agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintaining necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals like elephant.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
10	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines:	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।

a)	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 132 KV D/C line will be 3m only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
b)	Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
c)	In the remaining width of Right of Way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.0-meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
d)	The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted.	इस शर्त के अनुपालन हेतु कुल प्राचकलित राशि 25981258.00 (दो करोड़ उनसठ लाख एकारी हजार दो सौ अंदावन) रूपये मात्र निर्धारित की जाती है। उक्त राशि को कैम्पा के खाता में e-portal के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाय एवं जमा प्रगाण—पत्र समर्पित किया जाय। नोट : दर तालिका में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त राशि की भाग अलग से की जायेगी।
e)	In case a portion of the Transmission Line to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be felled.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
11	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
12	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
13	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
14	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
16	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
18	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F, No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
19	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
20	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त सभी शक्तों का शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन 10 (दस) प्रतियों में स्थाशीघ्र समर्पित किया जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु० : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

V.V. 15/6/19
वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

देवधर चन प्रमाणित, देवधर के अन्तर्गत 132 के भी डी/सी जसीडीह-मधुपुर ट्रान्समिशन लाइन निर्माण हेत प्रस्तावित

वनमूमि 19.46863 हेठो के दुगुणे अवकृष्ट वनमूमि पर शतिपुरक वनरोपण योजना का प्रारंकिलन

प्रमाणित का नाम – देवधर चन प्रमाणित, देवधर
प्रदीन का नाम – प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवधर

स्थल का नाम – विशनपुर उर्फ बाबुडीह
आना एवं थाना नं० – सारखों 208

प्लॉट नं० – 599, 607

धोरण कार्य का विवरण : द्रेच धोरण मशीन द्वारा कुल 127.70 चेन

पौधों की संख्या – 1666 प्रति हेठो
पौधों के बीच की दूरी – 3m x 2m
मजदूरी दर – 237.38 प्रति मानव दिवस
रक्वा – 38.94 हेठो
पौधों की प्रजाति – शीरण, सागवान, गम्हर, करंज, अर्जुन इत्यादि

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति यूनिट										प्रति यूनिट
		इकाई	मा०	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	मा०	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय	अन्तर्गत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क आग्रह कार्य (प्रथम वर्ष) 2019-20												
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3	712.14	0.00	712.14	116.82	27730.73	0.00	27730.73		
2	स्थानी सीमा स्तम्भ का निर्माण – 50	स्थल	1	237.38	3395.62	3633.00	50.00	11869.00	169781.00	181650.00		
3	सामान्य ज्ञाड़ी	हेठो	7	1661.66	0.00	1661.66	272.58	64705.04	0.00	64705.04		
4	मशीन द्वारा द्रैच युदाई ऐरेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.143.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटाकर दर)	6 चेन	12	2848.56	11782.74	14631.30	255.40	60626.85	458319.90	519446.75		
5	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पीट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हेठो	36.50	8664.37	0.00	8664.37	1421.31	337390.57	0.00	337390.57		
6	अंग पौधशाला कार्य चात्री प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेठो	16.50	3916.77	0.00	3916.77	642.51	152519.02	0.00	152519.02		
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खांद, रसायन, पौधशाला तथा धोरण सामग्री आदि)	0	0.00	2240.00	2240.00	0.00	0.00	87225.60	87225.60			

मुद्रा एवं जल सरक्षण कार्य : केंटर ट्रैकिंग 120, केंटर ट्रैच								
8 साईंज 5 मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बाल पर 0.15 मी० हो इसकी मिट्टी का नीचे गहरा कोडनी कर रखा जाना।	हे०	55	13055.90	0.00	13055.90	2141.70	508396.75	0.00
9 सिल्ट डिटेन्शन डेम, चोक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टारेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25	5934.50	0.00	5934.50	973.50	231089.43	0.00
10 गली लगिंग	हे०	10	2373.80	0.00	2373.80	389.40	92435.77	0.00
11 विविध कार्य (छायांकन, साईंन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	योग :-	166	39405.08	17568.36	56973.44	6263.22	1486763.16	721667.50
12 इन्हीपाइट कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							396126.91	122940.24
अधिक कार्य का संकल योग :-								
समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)	समाप्ति वर्ष (हिन्दू वर्ष)
1 अंश पौधाशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हे०	21.50	5869.50	0.00	5869.50	837.21	228558.33	0.00
2 वृक्षारोपण	हे०	36.50	9964.50	0.00	9964.50	1421.31	388017.63	0.00
3 दो कोडनी एवं निकौनी	हे०	41.50	11329.50	0.00	11329.50	1616.01	441170.73	0.00
4 ट्रेंच के बर्फ पर धोतन हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	546.00	0.00	546.00	77.88	21261.24	0.00
5 पौधों की सुरक्षा		275.00	75075.00	0.00	75075.00	275.00	75075.00	0.00
6 सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, सायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	0.00	92093.10
7 विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	5841.00
	योग :-	376.50	102784.50	2515.00	105299.50	4227.41	1154082.93	97934.10
समाप्ति कार्य (हिन्दू वर्ष)								
1 एक कोडनी-निकौनी	हे०	23	7220.85	0.00	7220.85	895.62	281179.90	0.00
2 सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, सायन आदि)		0	0.00	1892.40	1892.40	0.00	73690.06	73690.06
3 पौधों की सुरक्षा		365.00	114591.75	0.00	114591.75	365.00	114591.75	0.00
4 धोतन मरमति	चैन	1	313.95	0.00	313.95	127.70	40091.42	0.00
5 मृत पौधों का प्रतिस्थापन		हे०	3	941.85	290.00	1231.85	116.82	36675.64
	योग :-	392.00	123068.40	2182.40	125250.80	1505.14	472538.70	84982.66
								557521.36

सम्पर्क संख्या (नंबर)		जनसंख्या (प्रति वर्ष)		वार्षिक खर्च (दिल्ली रुपये)		लगभग दरकारी वर्ष		लगभग दरकारी वर्ष का अधिकार मात्रा	
क्र.	वर्गीकृत सम्पर्क संख्या (क्लासिफिड नंबर)	लोक	जनसंख्या (लोक)	खर्च	खर्च (दिल्ली रुपये)	वर्ष	दरकारी वर्ष	दरकारी वर्ष का अधिकार मात्रा	
1	एक कोडनी-निकोनी	हें०	23	8303.92	0.00	8303.92	895.62	323354.64	0.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	50622.00
3	पौधों की सुरक्षा		365.00	131779.60	0.00	131779.60	365.00	131779.60	0.00
4	मृत पौधों का प्रतिरक्षण	हें०	3	1083.12	290.00	1373.12	116.82	42176.69	11292.60
	योग :-	391.00	141166.64	1590.00	142756.64	1377.44	497310.94	61914.60	559225.54
सम्पर्क संख्या (सम्पर्क नंबर)		खर्च (दिल्ली रुपये)		वार्षिक खर्च (दिल्ली रुपये)		दरकारी वर्ष		दरकारी वर्ष का अधिकार मात्रा	
1	एक कोडनी-निकोनी	हें०	23	9549.60	0.00	9549.60	895.62	371861.42	0.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	19470.00
3	पौधों की सुरक्षा		365.00	151548.00	0.00	151548.00	365.00	151548.00	0.00
4	धोरात की मरम्मत	चेन	1	415.20	0.00	415.20	127.70	53021.04	0.00
	योग :-	389.00	161512.80	500.00	162012.80	1388.32	576430.46	19470.00	595900.46
सम्पर्क संख्या (सम्पर्क नंबर)		खर्च (दिल्ली रुपये)		वार्षिक खर्च (दिल्ली रुपये)		दरकारी वर्ष		दरकारी वर्ष का अधिकार मात्रा	
1	पौधों की सुरक्षा (60 हें० तक)	स्थल	365.00	174280.20	0	174280.20	365.00	174280.20	0.00
	योग :-	365.00	174280.20	0.00	174280.20	365.00	174280.20	0.00	174280.20
सम्पर्क संख्या (सम्पर्क नंबर)		खर्च (दिल्ली रुपये)		वार्षिक खर्च (दिल्ली रुपये)		दरकारी वर्ष		दरकारी वर्ष का अधिकार मात्रा	
1	पौधों की सुरक्षा (60 हें० तक)	हें०	365.00	200421.50	0	200421.50	365.00	200421.50	0.00
	योग :-	365.00	200421.50	0.00	200421.50	365.00	200421.50	0.00	200421.50

जुलाई समाप्ति दिन (आस्तीनक)

प्रति वर्ष का अंतिम दिन

कल्पना वर्ष (5 प्रतिशत) समाप्ति वर्ष का आस्तीनक

1 पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)

हेठो 365.00 230486.55 0 230486.55 365.00 230486.55 0.00 230486.55

योग :-

365.00 230486.55 0.00 230486.55 365.00 230486.55 0.00 230486.55

जुलाई समाप्ति दिन (आस्तीनक)

प्रति वर्ष का अंतिम दिन

कल्पना वर्ष (5 प्रतिशत) समाप्ति वर्ष का आस्तीनक

1 पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)

हेठो 365.00 265059.35 0 265059.35 365.00 265059.35 0.00 265059.35

योग :-

365.00 265059.35 0.00 265059.35 365.00 265059.35 0.00 265059.35

जुलाई समाप्ति दिन (आस्तीनक)

प्रति वर्ष का अंतिम दिन

कल्पना वर्ष (5 प्रतिशत) समाप्ति वर्ष का आस्तीनक

1 पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)

हेठो 365.00 304818.80 0 304818.80 365.00 304818.80 0.00 304818.80

योग :-

365.00 304818.80 0.00 304818.80 365.00 304818.80 0.00 304818.80

जुलाई समाप्ति दिन (आस्तीनक)

प्रति वर्ष का अंतिम दिन

कल्पना वर्ष (5 प्रतिशत) समाप्ति वर्ष का आस्तीनक

1 पौधों की सुरक्षा (60 हेठो तक)

हेठो 365.00 24355.76 1767359.58 16586.53 5362192.60 985968.85 6348161.45

योग :-

3539.50 1743003.82 24355.76 1767359.58 16586.53 5362192.60 985968.85 6348161.45

सारांश

		दस वर्षीय योजना की लागत	EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)	दस वर्षीय योजना की कुल लागत						
क्र.	कार्य	मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA मजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	1486763.16	721667.50	2208430.66	396126.91	122940.24	519067.15	1882890.08	844607.73	2727497.81
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	1154082.93	97934.10	1252017.03	0.00	0.00	0.00	1154082.93	97934.10	1252017.03
3	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)	472538.70	84982.66	557521.36	0.00	0.00	0.00	472538.70	84982.66	557521.36
4	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	497310.94	61914.60	559225.54	0.00	0.00	0.00	497310.94	61914.60	559225.54
5	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)	576430.46	19470.00	595900.46	0.00	0.00	0.00	576430.46	19470.00	595900.46
6	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	174280.20	0.00	174280.20	0.00	0.00	0.00	174280.20	0.00	174280.20
7	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)	200421.50	0.00	200421.50	0.00	0.00	0.00	200421.50	0.00	200421.50
8	सम्पोषण कार्य (अष्टम वर्ष)	230486.55	0.00	230486.55	0.00	0.00	0.00	230486.55	0.00	230486.55
9	सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)	265059.35	0.00	265059.35	0.00	0.00	0.00	265059.35	0.00	265059.35
10	सम्पोषण कार्य (दशम वर्ष)	304818.80	0.00	304818.80	0.00	0.00	0.00	304818.80	0.00	304818.80
	योग :-	5362192.60	989968.85	6348161.45	396126.91	122940.24	519067.15	5758319.51	1108909.09	6867228.60
								Or say		68,67,229.00

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रावकलन अपर प्रधान मुख्य चन संरक्षक, विकास, सारखण्ड, रौची के आवंटन पत्रोंक 1236 दिनोंक 22.09.17 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है।

समर्पित

प्रतिहस्ताक्षारित

कुल 68,67,229.00 (अड्सठ लाख सदसठ हजार दो सौ उनतीस) रुपये मात्र

चन क्षेत्र पदाधिकारी
ग्रामीणक प्रबोन्ह, देवधर

चन प्रमाणिकारी
देवधर चन प्रमाणिक, देवधर

चन संरक्षक
ग्रामीणक अंचल, देवधर

क्षेत्रीय मुख्य चन संरक्षक
संघाल परगना, तुमका